भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1434

दिनांक 02.12.2014/ 11 अग्रहायण, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के निवासियों के लिए पहचानपत्र

†1434. श्री विष्णु पद राय:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के कुल कितने निवासियों को पहचानपत्र दिए जाने है; और

(ख) सभी द्वीपसमूह निवासियों को ऐसे कार्ड कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है और इस संबंध में क्या कार्य योजना बनाई गई हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क): अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कुल 53722 ऐसे निवासी हैं, जिन्हें द्वीपसमूह का पहचान पत्र दिया जाना शेष है। विवरण निम्नानुसार है:

जिला	**15 वर्ष से अधिक आयु वाले छूटे हुए निवासी**	**15 वर्ष से कम आयु वाले छूटे हुए निवासी**	**कुल छूटे हुए निवासी**
उत्तरी एवं मध्य अंडमान	**13082**	**9210**	**22292**
दक्षिणी अंडमान	**12476**	**11714**	**24190**
निकोबार	**3575**	**3665**	**7240**
कुल	**29133**	**24589**	**53722**

(ख): अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन ने सूचित किया है कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर प्रत्येक वर्ष लगभग 8000 बच्चे फोटाग्राफी के लिए पात्र हो रहे हैं। वर्ष 2002 में सभी निवासियों की गणना की गई थी, अत: सूची में दर्ज सबसे छोटे बच्चे वर्ष 2017 में फोटाग्राफी के लिए पात्र होंगे। सभी छूटे हुए व्यक्तियों को शामिल करने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के सभी नौ तहसील कार्यालयों में फोटोग्राफी तथा द्वीपसमूह का निवासी पहचान-पत्र जारी करने के लिए स्थायी इंतजाम किए गए हैं। मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करके फोटोग्राफी एवं पहचान पत्र जारी करने के लिए विशेष शिविर भी लगाए जाते हैं।

*****